महत्वपूर्ण एवं खास

1484 वनरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट 16 नवंबर से प्रारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग के विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही 16 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगी। जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र तकनीकी कारणों से विभागीय वेबसाईट फॉरेस्ट डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन www.forest.cg.gov.in से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वे अभ्यर्थी आवेदित वनमण्डल कार्यालय अथवा भर्ती के लिये चयनित नोडल वनमण्डल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही टेक्निकल सपोर्ट हेतु वाट्सअप नंबर 7489986772 में अपनी समस्या वाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नवा रायपुर की ओर से वेबसाइट में यह जानकारी दी गई है।

नगरीय निकाय चुनाव के मतदाता सूची में दावा आपत्ति 20 नवम्बर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने के लिए पूर्व जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करने हुए नगरपालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली तैयार करने के संशोधित कार्यक्रम अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां 13 नवम्बर 2024 से प्राप्त की जाएगी। दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 24 नवम्बर 2024, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024 है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख, निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि 5 दिसम्बर 2024 तक सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु 7 दिसम्बर 2024 तक जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 10 दिसम्बर 2024 तक संलग्न किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

5 जुआरियों से 4090 रुपए जब्त

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। पुलिस थाना भखारा द्वारा कोर्रा में एवं थाना सिहावा द्वारा ग्राम बेलरगांव में जुआ ताश खेल रहे 05 जुआरियों के विरुद्ध किया गया वैधानिक कार्यवाही की गई है। आरोपियों से 4090/- रुपए नगद एवं 02 बंडल 52 पत्ती ताश जप्त कर थाना भखारा एवं थाना सिहावा द्वारा धारा 3(2)जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। धमतरी पुलिस द्वारा अभियान चलाकर थाना भखारा द्वारा कोर्रा बाजार चौक में 02 जुआरियों एवं थाना सिहावा द्वारा ग्राम बेलरगांव दुर्गा चौक में जुआ ताश खेल रहे 03 जुआरियों कुल 05 जुआरियों से कुल 4090/-रुपये जप्त कर जुआरियों के विरुद्ध धारा 03(2)जुआ एक्ट के तहत अपराध कायम कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। (01) धमतरी पुलिस थाना भखारा को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम कोर्रा बाजार चौक के पास ताश जुआ खेल रहे की सूचना पर तत्काल भखारा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये स्थान कोर्रा बाजार चौक के पास जुआ ताश खेल रहे जुआरियान को घेराबंदी कर पकड़ा गया जो की आम जगह में रूपये पैसे से हारजीत का दांव लगाकर ताश काट पत्ती नामक जुआं खेलते रंगे हाथ मिलने पर 02 जुआरियों के कब्जे से नगदी रकम 1840/- रूपये एवं 52 पत्ती ताश जप्त कर थाना भखारा में धारा 03(2)जुआ एक्ट के तहत अपराध कायम कर वैधानिक कार्यवाही किया गया।

राज्य की नई औद्योगिक नीति को हमने रोजगार परक बनाया है : मुख्यमंत्री

- इस नीति में निर्धारित है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य
- रोजगार प्रशिक्षण के लिए प्रति माह प्रतिव्यक्ति 15 हजार रूपए का मिलेगा अनुदान राज्य के युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन
- मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के नई औद्योगिकी नीति 2024-30 को किया लांच

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के मेफेयर रिसार्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लांच किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का ''हेल्थ हब'' बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व के ''न्यूनतम 20 एकड़ भूमि'' के स्थान पर अब हमने ''15 एकड़ भूमि'' पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संभवत: देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अमर परवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और उद्योगपति मौजूद रहे। नई औद्योगिक नीति के लांचिंग अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नवीन औद्योगिक विकास नीति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विशेष प्रावधान :

छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 01 नवबंर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एम.एस. एम.ई. के अनुरुप किया गया है।

ठगी का फरार आरोपी मैनेजर मनीष डेविड गिरफ्तार

- सरगना शाहरुख खान एवं साथी वसीम अकरम को पूर्व में चौकी कोतबा द्वारा गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 बुलेट एवं 01 स्कूटी वाहन को जप्त किया जा चुका है
- आरोपियों ने जाली दस्तावेज से फायनेंस कराकर वाहनों को अन्य लोगों को विक्रय कर दिया था

जशपुर-रायपुर | आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक आशीष शर्मा उम्र 26 साल निवासी कोतबा ने चौकी में एक षिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे दिनांक 12.08.2024 को कोरियर के माध्यम से एक आर.सी. बुक प्राप्त हुई। जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र. सी.जी. 29 ए.जी. 1344 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 06.02.2024 एवं चेचिस नंबर, इंजन नंबर इत्यादि अंकित है। उक्त वाहन को हिंदुजा लिलैंड फायनेंस कंपनी के द्वारा फायनेंस किया गया है। आवेदक एवं इसके परिवार के सदस्य के द्वारा किसी प्रकार का इस वर्ष वाहन नहीं खरीदा गया है, न ही इसके द्वारा किसी प्रकार का मूल दस्तावेज दिया गया है। इसके द्वारा दस्तावेज की छायाप्रति को स्कूटी के डिक्की में रखा गया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज को चुराकर उसका दुरूपयोग करते हुये वाहन फायनेंस कराकर ठगी करना जॉच में पाये जाने पर चौकी कोतबा थाना बागबहार में अप.क्र. 124/24 धारा 420, 467, 468, 471, 379, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी शाहरूख खान उम्र 26 साल निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर एवं वसीम खान उम्र 40 साल निवासी रसुलपुर अंबिकापुर के कब्जे से 10 नग बुलेट वाहन एवं 01 नग स्कूटी को जप्त कर उन्हें दिनांक 03.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपी शाहरूख खान निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर में अप.क्र. 555/24 धारा 420, एवं थाना राजपुर जिला बलरामपुर में अप.क्र. 78/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पूर्व से दर्ज है। प्रकरण का सहआरोपी मनीष डेविड फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। विवेचना दौरान मनीष डेविड के बैकुण्ठपुर में होने की जानकारी मिलने पर चौकी कोतबा से तत्काल पुलिस टीम मौके पर जाकर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में मनीष डेविड ने बताया कि यह सीधे शाहरूख खान से जुड़ा था एवं उसी से दस्तावेज प्राप्त करता था एवं फायनेंस कराने का काम करता था। आरोपी मनीष डेविड के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक राकेश सिंह, आर. उपेन्द्र सिंह, आर. बूटा सिंह का योगदान रहा है।

पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में दावा आपत्ति 20 नवम्बर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने के लिए पूर्व जारी कार्यक्रम में संशोधन करने हुए त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 कराए जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली तैयार करने के संशोधित कार्यक्रम अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां 14 नवम्बर 2024 से प्राप्त की जाएगी।

दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि बुधवार 20 नवम्बर 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि सोमवार 25 नवम्बर 2024 है।

प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024 है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2024 है। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख, निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि 4 दिसम्बर 2024 तक सॉफ्टवेयर में किया जाएगा।

कारोबारी से 5 लाख की ठगी, सिविल लाइन पुलिस ने शुरू की जांच

रायपुर | आरएनएस

रायपुर के एक कारोबारी से दिल्ली में 5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। कारोबारी के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें उसके दोस्त की फोटो लगी हुई थी।कॉलर ने दिल्ली में जरूरी काम के बहाने मदद के लिए 5 लाख रुपए मांगे। तो कारोबारी ने चांदनी चौक के पास एक परिचित को बोलकर कॉलर को कैश दिलवा दिए। बाद में जब दोस्त से पैसे वापस मांगे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले सन्नी जुमनानी ने थाने में शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया कि वह सोलर पैनल का काम करते हैं। पुनीत पारवानी उसके भाई बंटी का दोस्त है। 8 नवंबर को बंटी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल में पुनीत परवानी की डीपी लगी हुई थी। कॉलर ने खुद को पुनीत परवानी बताते हुए दिल्ली में जरूरी काम के लिए 5 लाख रुपए मांगे।

इसके बाद सनी ने अपने एक दिल्ली के दोस्त से संपर्क कर 5 लाख रुपए पुनीत को देने की बात कही। सनी के दोस्त ने चांदनी चौक के पास 5 लाख रुपए नगद एक व्यक्ति को दे दिया। दो-तीन दिनों बाद जब सनी ने पुनीत से पैसे वापस मांगे तो पुनीत ने कहा कि उसे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। इसके बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। किसी ने फेक डीपी लगाकर पैसे वसूल कर लिए। सिविल लाइन पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

स्वदेशी 'कवच' प्रणाली की स्थापना से भारतीय रेलवे ने संरक्षा और संकेत प्रणाली में उठाया बड़ा कदम

रायपुर | आरएनएस

भारतीय रेलवे ने संरक्षा और अपने यात्रियों की सेवा में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । इसी कड़ी में रेलवे की अत्याधुनिक 'कवच' प्रणाली, जो एक स्वदेशी और बहु-विक्रेता इंटरऑपरेबल सुरक्षा प्रणाली है, का विकास और विस्तार किया जा रहा है । विकासक्रम : वर्ष 2012 में, ककोदकर समिति ने भारतीय रेलवे के लिए डिजिटल रेडियो आधारित सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणाली के उपयोग की सिफारिश की थी । वर्ष 2014-15 में दक्षिण मध्य रेलवे के 250 किलोमीटर खंड पर इस प्रणाली की स्थापना की गई । वर्ष 2020 में 'कवच' को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन) प्रणाली के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2024 में, कवच 4.0 संस्करण के परीक्षण के बाद इसे कोटा और सवाई माधोपुर खंड (108 किलोमीटर) के बीच सफलतापूर्वक स्थापित किया गया । इस प्रणाली की विशेषताएं इसे भारतीय रेलवे की विविध यातायात चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम बनाती हैं । यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक, स्पीड अंतर, और विभिन्न प्रकार की लोकों और कोचिंग तथा वैगन स्टॉक्स के अनुरूप काम करती है ।

भविष्य की योजनाएं : कवच प्रणाली के लिए 36,000 किलोमीटर ट्रैक पर कार्य स्वीकृत हो चुका है । कुल 14,735 किलोमीटर की कवच प्रणाली के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, और शेष निविदाएं अगले कुछ महीनों में खोली जाएंगी । रेलवे की इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी मोटिव पावर यूनिट्स और ट्रैक को कवच प्रणाली के अंतर्गत लाना है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन को कवच परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके लिए टेंडर फ्लोटिंग प्रक्रिया चल रही है । टेंडर प्रक्रिया उपरांत नागपुर-रायपुर-बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में कवच सुरक्षा तकनीक स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा ।

तीन नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी

बलरामपुर | आरएनएस

जिले दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाई ऐश ईट भट्टे के पास तीन नर कंकाल मिला है। इसकी खबर फैलती ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अब इस खबर के फैलने के बाद एक युवक ने आशंका जताई है कि यह नर कंकाल उसकी लापता मौसी, भाई और बहन का हो सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह ग्राम दहेजवार से कुछ लोग ईट भट्टे के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वहां आसपास नर कंकाल के टुकड़े पड़े हुए देखा और देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में फै ल गई। जिसके बाद इसी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल एकत्रित कर जांच के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार नर कंकाल तीन लोगों के है। वहीं इस मामले में जशपुर के कुनकुरी के रहने वाले एक युवक बिट्टू श्रीवास के आशंका जताई है कि उक्त नरकंकाल उसकी लापता मौसी तथा भाई बहनों का हो सकता है। युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी मौसी कौशल्या ठाकुर (उम्र 36 साल) बीते 27 सितंबर को अपनी बेटी मुक्तावती उर्फ मुस्कान ठाकुर (उम्र 17 साल) और बेटा मिंटू ठाकुर (उम्र 5 साल) के साथ बाजार जाने के लिए निकली थी और लौटकर कभी नही आई। तब से तीनों लापता है। बिट्टू ने बताया कि मौसी कौशल्या के पति सूरजदेव ठाकुर और परिजनों ने तीनों की झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में तलाश की, जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने 1 अक्टूबर को तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन अब तक उनका कही भी पता नहीं चल सका है। इस सूचना के बाद पुलिस अब तीनों के नर कंकाल का डीएनए टेस्ट कराकर गुमशुदा महिला और बच्चों से मेल करेगी। जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि कंकाल गुमशुद लोगों के है कि नही। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

सड़क दुर्घटनाओं में घायल नौ लोगों की जान बचाने वाले पांच नेक व्यक्ति हुए सम्मानित, शहर में लगा होर्डिंग

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सडक़ दुर्घटनाओं में घायल हुए नौ लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले पांच नेक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एसएसपी संतोष सिंह ने इन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसएसपी ने इनकी सराहना करते हुए हर किसी से अपील की कि वे सडक़ पर घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए आगे आएं और मदद करें। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि देश में हर साल सडक़ दुर्घटनाओं में घायल लगभग डेढ़ लाख लोग समय पर इलाज न मिलने के कारण असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। सडक़ दुर्घटना में घायल वाहन सवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय पहला एक घंटा होता है। यदि इस समय में घायल को अस्पताल तक पहुंचाया जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है।

घायलों की मदद करने वालों को किया जाएगा प्रोत्साहित

हालांकि, अधिकतर लोग कानूनी झंझटों से बचने के लिए घायलों की मदद नहीं करते, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए गुड सेमेरिटन योजना का प्रचार करें। इसके माध्यम से घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा।

एसएसपी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने सडक़ दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को मदद करने वाले लोगों को 'गुड सेमेरिटन' यानी नेक व्यक्ति की संज्ञा देने का निर्देश दिया है और इनकी मदद को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के प्रचार का आदेश दिया है।

इस अवसर पर पांच नेक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया

जितेंद्र वर्मा (उमरिया गांव, मंदिर हसौद): सात अक्टूबर को बाइक दुर्घटना में घायल दो व्यक्तियों को समय पर अस्पताल भेजकर उनकी जान बचाई।

प्रिंस तिवारी (बंजारी मंदिर, रावांभाठा): 30 सितंबर को आइचर वाहन से घायल तीन लोगों को क्रेन की मदद से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

मिथलेश वर्मा (बैंक ऑफ बड़ौदा, धरसींवा): सडक़ हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

राहुल शादीदा (शैलेंद्रनगर, 12 अक्टूबर): आरंग चौक के पास गंभीर रूप से घायल बाइक सवार दो व्यक्तियों को समय पर अस्पताल भेजकर उनकी जान बचाई।

दुर्गेश कुमार कांडे (कटोरा तालाब): आठ सितंबर को सडक़ हादसे में घायल युवक को अस्पताल भेजकर उसकी जान बचाई।

एसएसपी ने इन नेक व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इनकी तरह अन्य लोगों को भी सडक़ दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU